

# उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक:- 627 /3-2 बजट (Interest)/24-25

दिनांक 13 नवम्बर, 2024

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा  
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-05 कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज" (Interest) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0-597/3-5 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-06 कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज" (Interest) मानक मद-56 सहायक अनुदान आदि के लिए (सामान्य गैर वेतन) हेतु ₹ 2.1282 करोड की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड [www.ukcampa.org.in](http://www.ukcampa.org.in) पर fund released section में भी अपलोड है।

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज (Interest) मानक मद-56 सहायक अनुदान आदि के लिए (सामान्य गैर वेतन) गतिविधि हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक-1 के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

- राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (कैम्पा वेबसाईड में अपलोड) व शासकीय पत्रांक-1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
- अन्य नियम व शर्तें:-
  - कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
  - भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए-

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे ;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

- सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
- समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

-1- 

- v. कार्यों के संपादन हेतु समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- vi. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- vii. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- viii. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
- ix. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न कराये जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- x. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
- xi. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
- xii. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हो।
- xiii. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।
- xiv. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
- xv. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूर्क वनीकरण, IWLMIP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

भागीदार,

(डॉ० समीर सिन्हा)

प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 627 / 3-2 बजट (Interest)/24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी।
5. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

## Incremental cost Plantation

(धनराशि रु लाख में)

प्रभाग / क्रियान्वयन अभिकरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार से अनुमोदन (वास्तविक स्थिति)		वर्तमान आवंटन
	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	4
ALMORA DIVISION	100.49	21.89	21.89
PITHORAGARH DIVISION	212.7	0	0
CHAMPAWAT DIVISION	27	0	0
BAGESHWAR DIVISION	112.01	16.12	16.12
<b>Total in NORTH KUMAON CIRCLE</b>	<b>452.2</b>	<b>38.01</b>	<b>38.01</b>
<b>CF SOUTH KUMAON CIRCLE</b>			
NAINITAL DIVISION	10.32	3.02	3.02
RAMNAGAR SC DIVISION	38.62	10.41	10.41
<b>Total in SOUTH KUMAON CIRCLE</b>	<b>48.94</b>	<b>13.43</b>	<b>13.43</b>
<b>WESTERN CIRCLE</b>			
TARAI EAST DIVISION	218.36	2.37	2.37
TARAI CENTRAL DIVISION	33.4		0
<b>Total in WESTERN CIRCLE</b>	<b>251.76</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>
<b>Total KUMAON</b>	<b>752.9</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>
<b>CF BHAGIRATHI CIRCLE</b>			
UTTARKASHI DIVISION	58.65	0	0
NARENDRA NAGAR DIVISION	29.17	0	0
TEHRI DIVISION	133	61.71	61.71
<b>Total in BHAGIRATHI CIRCLE</b>	<b>220.82</b>	<b>61.71</b>	<b>61.71</b>
BADRINATH DIVISION	199.81	2.65	2.65
GARHWAL DIVISION	39.32	22.93	22.93
RUDRAPRAYAG DIVISION	29.91	0	0
<b>Total in GARHWAL CIRCLE</b>	<b>269.04</b>	<b>25.58</b>	<b>25.58</b>
LANSDOWNE SC DIVISION	27.28	5.4	5.4
LANSDOWNE DIVISION	18.19	3.37	3.37
HARIDWAR DIVISION	73.69	31.44	31.44
DEHRADUN DIVISION	20		0
<b>Total in SHIVALIK CIRCLE</b>	<b>139.16</b>	<b>40.21</b>	<b>40.21</b>
CHAKRATA DIVISION	54.31	9.65	9.65
MUSSOORIE DIVISION	9.64		0
TONS DIVISION	10		0
<b>Total in YAMUNA CIRCLE</b>	<b>73.95</b>	<b>9.65</b>	<b>9.65</b>
<b>Total GARHWAL</b>	<b>702.97</b>	<b>137.15</b>	<b>137.15</b>
<b>CF WILDLIFE</b>			
NANDADEVI NATIONAL PARK	3.27		0
KEDARNATH DIVISION	49.04	21.86	21.86
<b>Total in WILDLIFE DIVISIONS</b>	<b>52.31</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>
<b>All Total</b>	<b>1508.18</b>	<b>212.82</b>	<b>212.82</b>

Chief Executive Officer  
Uttarakhand CAMPA

*[Signature]*